

The Delhi Teacher University Act, 2022

Act No. 2 of 2022

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 <u>REGD. No. D. L.-33002/99</u>

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-12012022-232591 SG-DL-E-12012022-232591

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 2022/पौष 21, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 371 No. 22] DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 2022/PAUSHA 21, 1943 [N. C. T. D. No. 371

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 10 जनवरी, 2022

सं. फा. 14(78)/एलए/2022/ds2law/325-334.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप—राज्यपाल की सहमति दिनॉक 7 जनवरी, 2022 को प्राप्त कर ली है और इसको जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय अधिनियम 2022"

(सन 2022 का दिल्ली अधिनियम 02)

(04 जनवरी, 2022 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

(10 जनवरी, 2022)

दिल्ली में अध्यापक शिक्षा पर केंद्रित एक शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना और समामेलन के लिए एक विधेयक, जो अध्यापक शिक्षा तथा प्रांसिंगक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सेवा से पूर्व तथा सेवाकालीन अध्यापकों को पेशेवर तरीके से तैयार करने शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विस्तार गतिविधियों को बढावा देगा ।

इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जायेगा:--

195 DG/2022 (1)

संक्षिप्त शीषक एवं प्रारंभ	1	 इस अधिनियम को दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022 कहा जाएगा
		2. यह सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।
		 यह अधिनियम राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा नियत तिथि को लागू होगा तथा इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग–अलग तिथियां नियत की जा सकती हैं
परिभाषाएँ	2.	इस अधिनियम में जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो—
	1.	"सरकार" का अभिप्राय भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत नियुक्त तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 एए के अन्तर्गत पदनामित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है ;
	2.	''शैक्षिक परिषद्'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद् से है ;
	3.	"शैक्षिक स्टाफ" का अभिप्राय ऐसे कर्मचारियों की श्रेणियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्टाफ के लिए नामित किया जाता है ;
	4.	''प्रबन्धन बोर्ड'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड से है;
	5.	''कैम्पस'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा या अनुसंधान या दोनों की व्यवस्था हेतु विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या गठित इकाई से है;
	6.	''न्यायालय'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय के न्यायालय से है;
	7.	''कुलाधिपति'' ''कुलपति'' तथा ''सम—कुलपति'' का अभिप्राय क्रमशः विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, कुलपति तथा समकुलपति से हैं;
	8.	"दिल्ली" का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से है;
	9	''प्रभाग'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय के अध्ययन स्कूल के भीतर प्रभाग से है;
	10.	''कर्मचारी' का अभिप्राय विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति से है;
	11.	''वित्त समिति'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है;
	12.	''योजना बोर्ड'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक योजना बोर्ड से है;
	13.	''रजिस्ट्रार'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से है;
	14.	''स्कूल'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय के अध्ययन स्कूल से है;
	15.	''परिनियम'', ''अध्यादेश'' तथा विनियम का अभिप्राय विश्वविद्यालय के तत् समय प्रवृत्त परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम से है;
	16.	.''विश्वविद्यालय'' का अभिप्राय इस अधिनियम के अन्तर्गत समामेलित दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय से है;
	17.	"विश्वविद्यालय अध्यापक" का अभिप्राय प्रोफेसर,एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर तथा ऐसे अन्य व्यक्ति से जिन्हें विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कॉलेज या संस्थान में अनुदेश देने या शोध करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है और उन्हें परिनियमों द्वारा अध्यापकों के रूप में नामित किया गया है ;
विश्वविद्यालय		
विश्वविद्यालय की स्थापना एवं समामेलन	3(1)	ऐसी तिथि से जो सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जिसमें कुलाधिपति, कुलपति, कोर्ट के प्रथम सदस्य, प्रबंधन बोर्ड, शैक्षिक परिषद् तथा विश्वविद्यालय की वित्तीय समिति तथा सभी ऐसे व्यक्ति जो ऐसे कार्यालय में नियुक्त किए गए हों या सदस्य के रूप में ऐसे कार्यालय या सदस्यता में निरंतर हों।
	(2)	विश्वविद्यालय उपरोक्त नाम से निकाय कार्पोरेट होगा जो निरंतर उत्तराधिकारी होगा और शक्ति के साथ एक कॉमन सील होगी, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संपत्ति को जब्त तथा निपटान तथा संविदा का अधिकार होगा तथा उक्त नाम से

		मुकदमा भी कर सकते हैं।
	(3)	.विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा, स्कूल शिक्षा और संबद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए बहुविषयक शिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अध्यापक शिक्षा के उभरते क्षेत्रों में शिक्षण और अनुसंधान में कार्यरत रहेगा ।
विश्वविद्यालय का विज़न और मिशन	4(1)	विश्वविद्यालय की परिकल्पना स्कूली स्तर पर शिक्षा अध्ययन, नेतृत्व एवं नीति के क्षेत्र में सेवापूर्व और सेवाकालीन दोनों चरणों में शिक्षक तैयार करने में उत्कृष्टता के लिए एक केन्द्र के रूप में विकसित की गई है। यह दिल्ली शहर में शिक्षा में गुणवत्ता की वास्तविकताओं एवं सक्रिय अवधारणा के साथ निरन्तर कार्यरत होकर शिक्षक तैयार करने में अभ्यास, अनुसंधान तथा नीतियों के मध्य अन्तर को कम करने की दिशा में कार्य करेगा।
	2	यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शिक्षक और स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता और समानता के मुद्दों को संबोधित करने के अपने मिशन पर विचार करेगा और गुणवत्ता के लक्ष्यों तथा शिक्षक एवं स्कूली शिक्षा तथा अन्य प्रांसगिक क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रेरित, संवेदनशील, सुविज्ञ, कुशल पेशेवर शिक्षकों को तैयार करेगा। यह पेशेवर अध्यापक शिक्षा तथा उदारवादी शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करेगा।
विश्वविद्यालय के उद्देश्य	5.	विश्वविद्यालय के उद्देश्य हैं:
	(1)	दिल्ली में विभिन्न स्कूल स्तरों में प्रारम्भिक शिक्षक (सेवापूर्व) तैयार करने के लिए गुणवत्ता कार्यक्रम प्रदान करना ;
	(2)	दिल्ली के अभ्यासरत शिक्षकों के लिए चल रहे आवश्यकता आधारित सेवाकालीन कार्यक्रम उपलब्ध कराना ;
	(3)	विभिन्न स्तरों पर परिवर्तन नेतृत्व के निर्माण द्वारा दिल्ली की शिक्षा प्रणाली में व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमताओं को बढ़ाना;
	(4)	दिल्ली के लिए शिक्षण, पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, स्कूल नेतृत्व, शिक्षा नीति और नियोजन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान का संचालन करना ;
	(5)	शहर में पब्लिक स्कूल प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्रों के क्षेत्र में संसाधन विकास;
	(6)	शिक्षा के विभिन्न घटकों को एक साथ लाने वाले मंचों की मेज़बानी करके दिल्ली में शिक्षा पर संवाद की संस्कृति स्थापित करना है ;
	(7)	विचारों और पद्धतियों के आदान—प्रदान के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग नेटवर्क स्थापित करना ;
	(8)	स्कूलों, अध्यापकों और उच्च शिक्षा के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना ;
विश्वविद्यालय की शक्तियां एवं दायित्व	6.	विश्वविद्यालय की निम्न शक्तियां होंगी, अर्थात्:—
	(1)	शिक्षण की ऐसी शाखाओं में अनुदेशन प्रदान करना जिनमें विश्वविद्यालय अनुसंधान, ज्ञान और कौशल की उन्नति एवं प्रसार के लिए समय—समय पर प्रावधान तैयार करे और उनका निर्धारण करे ;
	(2)	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों के अधीन व्यक्तियों को डिप्लोमा और प्रमाण—पत्र प्रदान करना तथा परीक्षाओं, मूल्यांकन या प्रशिक्षण के किसी अन्य तरीके के आधार पर उपाधि एवं अन्य शैक्षणिक पदवी प्रदान करना ;
	(3)	मानद उपाधियां अथवा अन्य पदवी प्रदान करना;
	(4)	विस्तार सेवाओं का संयोजन और प्रारम्भ करना ;
	(5)	सरकार तथा संस्थान के पूर्व अनुमोदन से प्रोफेसरशिप, एसोसिएट प्रोफेसरशिप, सहायक प्रोफेसरशिप और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अन्य ऐसे शिक्षण और शैक्षिक

	पदों का सृजन करना तथा ऐसे अन्य शैक्षणिक और अनुसंधान पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना ;
(6)	प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों अथवा सहायक प्रोफेसरों और अन्य व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में मान्यता देना;
(7)	विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षकों तथा शैक्षणिक या प्रशासनिक स्टाफ के अन्य सदस्यों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें निर्धारित करना ;
(8)	किसी अन्य विश्वविद्यालय संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त करना ;
(9)	सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय में प्रशासनिक , लिपिकीय तथा अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्ति करना ;
(10)	किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण अथवा उच्च शिक्षा के संस्थान के साथ इस तरह से और ऐसे उद्देश्य के लिए सहयोग या सहयोजित करना जैसा कि विश्वविद्यालय निर्धारित करें ;
(11)	किसी अन्य संस्थान में कार्यरत व्यक्तियों के साथ विश्वविद्यालय में कार्यरत व्यक्तियों को निर्देश देने या अनुसंधान की निगरानी या दोनों के लिए सहयोग करने के लिए सक्षम बनाना ;
(12)	शैक्षणिक कार्यों के लिए अकादिमक निकाय का निर्माण करना और उन्हें निर्धारित तरीके से पारिश्रमिक का भुगतान करना ;
(13)	कॉलेजों, परिसरों तथा शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण और विस्तार के ऐसे अन्य केन्द्रों की स्थापना, रख–रखाव करना जो विश्वविद्यालय द्वारा उचित समझे जाएं;
(14)	कम्प्यूटर सेंटर, इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर, सेंटर वर्कशाप, सेन्ट्रल लायब्रेरी, आडिटोरियम आदि जैसी केन्द्रीय सुविधाएं स्थापित करना ;
(15)	विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यचर्या विकास प्रकोष्टों की स्थापना करना।
(16)	अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए प्रावधान करना और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थानों या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्था करना जिन्हें विश्वविद्यालय आवश्यक समझे।
(17)	विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानकों का निर्धारण करना जिसमें परीक्षा, मूल्यांकन या चयन की कोई अन्य पद्धति शामिल हो सकती है
(18)	अध्येतावृत्ति, वज़ीफा, छात्रवृति, पदक और पुरस्कार संस्थापित करना और प्रदान करना।
(19)	शुल्क और अन्य प्रभारों का भुगतान निर्धारित करना, मांग करना और प्राप्त करना।
(20)	विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास का निरीक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने की व्यवस्था करना।
(21)	महिला छात्राओं के संबंध में ऐसी विशेष व्यवस्थाएं करना जिन्हें विश्वविद्यालय वांछनीय समझे।
(22)	विश्वविद्यालय के छात्रों की आचार संहिता को परिभाशित करना।
(23)	विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के कार्य, सेवा की शर्ते और आचार संहिता को परिभाषित करना।
(24)	कर्मचारियों हेतु सेवा नियमावली का विकास एवं क्रियान्वयन;
(25)	विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुधार एवं सामान्य कल्याण की व्यवस्था करना;
(26)	व्यक्ति या संगठन से लाभ, डोनेशन तथा गिफ्ट प्राप्त कर उनपर नाम लिखना, इसके बाद ऐसी कुर्सियां, संस्थान, बिल्डिंग तथा विश्वविद्यालय की सहमति के अनुसार किसका गिफ्ट या डोनेशन उचित है विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा;
(27)	विश्वविद्यालय के लिए एक समग्र निधि का निर्माण करना और ऐसी समग्र निधि का

		उपयोग करने के तरीकों पर निर्णय लेना तथा विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित भूतपूर्व छात्रों, उद्योगों और अन्य राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय फाउंडेशनों, संगठनों से प्राप्त दान को पूर्ण या आंशिक रूप से स्थानांतरित करना।
	(28)	सरकार की सहायता से अर्जित भूमि या निर्मित भवन जिसके मामले में सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, को छोडकर, विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ ट्रस्ट और अक्षयनिधि संपतियों को शामिल करते हुए किसी भी चल या अचल संपति का अधिग्रहण, धारण, प्रबंधन और निपटान करना।
	(29)	विश्वविद्यालय की संपति की सुरक्षा के लिए सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रयोजनों हेतु धन उधार लेना;
	(30)	लघु और दीर्घावधि दोनों आधार पर विषयों, विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों, शिक्षा के स्तरों और तकनीकी जनशक्ति के प्रशिक्षण के संदर्भ में जरूरतों का आकलन करना और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यक्रमों की पहल करना।
	(31)	पूरक सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों के सहयोग को सूचीबद्धे करने वाले उपायों की पहल करना;
	(32)	अपने कर्मचारियों के लिए नीति संहिता, आचार संहिता और अनुशासनात्मक नियम और छात्रों के लिए अनुशासन संहिता निर्धारित करना; तथा
	(33)	विश्वविद्यालय की सभी या किन्हीं शक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक या आनुषंगिक ऐसे सभी कृत्यों और कार्यो को करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक या सहायक हो;
विश्वविद्यालय लिंग ,पंथ, वर्ग, जाति, जन्म —स्थान, धर्म या मत को महत्व दिए बिना सभी के लिए खुला है	7. (1)	विश्वविद्यालय सभी लिंग, नस्ल, पंथ, जाति या वर्ग के लिए खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी भी व्यक्ति पर धार्मिक विश्वास या व्यवसाय या राजनीतिक मत का कोई परीक्षण अपनाएं या लागू करवाएं तथा सभी लिंग, नस्ल, पंथ, जाति या वर्ग के व्यक्तिविश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त करने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में प्रवेश लेने, स्नातक होने या उसके किसी भी विशेषाधिकार का लाभ उठाने के पात्र होंगे।
	(2)	इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय में महिलाओं या समाज के कमजोर वर्गी और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के विरूद्व लागू नहीं होगा।
	(3)	कुल सीटों का पचासी प्रतिशत दिल्ली के छात्रों और शेष पंद्रह प्रतिशत दिल्ली के बाहर के छात्रों या ऐसे अन्य आबंटन के लिए आबंटित किए जाएंगे जैसा कि सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है;
विश्वविद्यालय के अधि	प्रकारी	
विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष	8. (1)	भारत गणराज्य के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।
	(2)	विश्वविद्यालय तथा अन्य किसी विश्वविद्यालय के बीच होने वाले किसी भी विवाद को दिल्ली में उप-नियम के अनुसार कुलाध्यक्ष को भेजा जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्ष उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य होंगे।
विश्वविद्यालय के कुलाधिपति	9(1)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे;
	(2)	कुलाधिपति यदि उपस्थित होंगे तो डिग्री प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में अध्यक्षता करेंगे;
	(3)	कुलाधिपति विश्वविद्यालय के किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके भवन, प्रयोगशाला एवं उपकरण विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्थान तथा विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा, टीचिंग तथा संचालित अन्य कार्य या विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कार्य को निर्देशित
		कर सकता है और विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त संबंधी किसी मामले के संबंध में जांच करा सकते है; कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, निरीक्षण या जांच कराने के अपने प्रयोजन के बारे में

	T	
		विश्वविद्यालय को नोटिस देगा और विश्वविद्यालय को ऐसी सूचना प्राप्त होने पर नोटिस में निर्दिष्ट अविध के भीतर जैसा की वह आवश्यक समझे कुलाधिपति के समक्ष ऐसा अभ्यावेदन देने का अधिकार होगा ।
	(5)	विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात कुलाधिपति ऐसा निरीक्षण या जांच करवा सकते हैं, जैसा कि उप–धारा (3) में निर्दिष्ट है।
	(6)	कुलाधिपति द्वारा कोई निरीक्षण या जांच की गई है, तो विश्वविद्यालय को एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और सुनवाई का अधिकार होगा।
	(7)	कुलाधिपति उप–धारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को संबोधित कर सकते हैं और कुलपति प्रबंधन बोर्ड को कुलाधिपति के विचारों को सलाह के रूप में संप्रेषित करेगा क्योंकि कुलाधिपति उस पर की जाने वाली कार्रवाई पर प्रस्ताव देने की कृपा कर सकते हैं।
	(8)	प्रबंधन बोर्ड कुलपित के माध्यम से कुलाधिपित को ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो जिसे वह करने का प्रस्ताव करता है या ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम पर उसके द्वारा की गई है, को सूचित करेगा।
	(9)	कुलाधिपति की संतुष्टि के अनुसार प्रबंधन बोर्ड उचित समय के भीतर कार्रवाई न करने के मामले में कुलाधिपाति ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैजो वह उचित समझे और प्रबंधन बोर्ड ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।
	(10)	कुलाधिपति लिखित आदेश द्वारा इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विश्वविद्यालय की किसी भी कार्यवाही को रद्द कर सकते है जो इस अधिनियम, परिनियम या अध्यादेशों के अनुरूप नहीं हैं। बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश करने से पहले, कुलाधिपति विश्वविद्यालय से यह कारण बताने के लिए कहेंगे की ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए और उनके द्वारा निर्दिष्ट समय—सीमा के भीतर दिखाए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।
	(11)	कुलाधिपति के पास यथानिर्धारित ऐसी अन्य शक्तियां होंगी।
विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी	10.	विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी होंगे:—
	1.	कुलपति;
	2.	सम—कुलपति;
	3.	डीन;
	4.	रजिस्ट्रार;
	5.	वित्त नियंत्रकः; तथा
	6.	ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें विश्वविद्यालय के परिनियम के अनुसार अधिकारी घोषित किया गया है।
विश्वविद्यालय के कुलपति	11.	(1) कुलपति उच्च शिक्षा के स्नातकोत्तर डिग्री स्तर के संस्थान में शिक्षण, अनुसंधान और प्रशासनिक अनुभव रखने वाले अध्यापक शिक्षा में प्रख्यात विद्वान होंगे।
		(2) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा, ऐसी रीति से, ऐसी शर्तों के लिए और ऐसी परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों पर की जाएगी, जो यथानिर्धारित हो।
		(3) कुलपित विश्वविद्यालय के प्रमुख शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी होंगे और विश्वविद्यालय के मामलों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेंगे और विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों के निर्णयों को लागू करेंगे।
		(4) यदि कुलपति (उसका / उसकी / अन्य) की राय है कि किसी भी मामले पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है तो इस अधिनियम के द्वारा या इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय की किसी भी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और ऐसे प्राधिकारी को ऐसे मामले पर उसका / उसकी / अन्य द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट करेंगे;

		i. बशर्ते कि संबंधित प्राधिकारी का मत हो कि यह निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए था, जिसे कुलाधिपति को हस्तांतरित किया जा सकता था जिनका निर्णय अंतिम होगा।
		ii. बशर्ते कि विश्वविद्यालय की सेवा में कोई व्यक्ति इस उप—धारा के अंतर्गत कुलपित द्वारा की गई कार्रवाई से खिन्न है, उसे यह अधिकार है कि वो ऐसी कार्रवाई संचारित करने की तिथि से 90 दिनों के अंदर प्रबंधन बोर्ड को ऐसी कार्रवाई के विरूद्ध अपील करें और प्रबंधन बोर्ड कुलपित द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि, सुधार या उलट कर सकता है।
		 कुलपित परिनियम एवं अध्यादेश, विनियमन निकाय द्वारा निर्धारित कुछ अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कुछ अन्य कार्य करेंगे।
विश्वविद्यालय का सम—कुलपति	12	प्रत्येक सम—कुलपति द्वारा इस तरह से नियम परिलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तो पर नियुक्त किया जायेगा और वह निर्धारित शक्तियों और कार्यो का प्रयोग करेंगे।
संकायाध्यक्ष	13	इसी प्रकार प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी और वह निर्धारित शक्तियो का प्रयोग करेंगे एवं निर्धारित कार्यों को निष्पादन करेंगे।
रजिस्ट्रार	14.	1) इस प्रकार प्रत्येक रजिस्ट्रार निर्धारित परिलब्धियों एवं सेवा की शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा और वह निर्धारित शक्तियों एवं कार्यों को निष्पादित करेगा;
		(2) प्रबंधन बोर्ड द्वारा शक्ति प्राप्त रजिस्ट्रार को करार करने तथा उन पर हस्ताक्षर करने तथा विधिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से रिकॉर्डो का प्रमाणीकरण करने की शक्तियां प्राप्त होगी।
परीक्षा नियंत्रक	15.	इसी प्रकार परीक्षा नियंत्रक निर्धारित परिलब्धियों एवं सेवा की शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा और वह निर्धारित शक्तियों एवं कार्यों को निष्पादित करेगा;
वित्त नियंत्रक	16.	इसी प्रकार वित्त नियंत्रक निर्धारित परिलिब्धियों एवं सेवा की शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा और वह निर्धारित शक्तियों एवं कार्यों को निष्पादित करेगा;
विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां एवं दायित्व	17.	विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, परिलब्धियां, शक्तियां तथा दायित्व विश्वविद्यालय के अध्यादेशों तथा परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से की जाएगी।
प्राधिकारी		
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	18	विश्वविद्यालय के प्राधिकार मुख्यतः निम्न होंगे :— (1) कोर्ट (2) प्रबंधन बोर्ड (3) शैक्षिक परिषद् (4) योजना बोर्ड (5) वित्त समिति, तथा (6) विश्वविद्यालय के प्राधिकार के परिनियम द्वारा घोषित ऐसे अन्य प्राधिकारी;
कोर्ट	19.	 विश्वविद्यालय के कोर्ट में निम्निलिखित व्यक्ति सिम्मिलित होंगे :— i. कुलाधिपित ii. कुलपित iii. सरकार द्वारा नामित अध्यापक शिक्षा और संबंधी क्षेत्रों में पांच प्रतिष्ठित व्यक्ति iv. प्रधान सिचव या सिचव (वित्त), सरकार के पदेन v. प्रधान सिचव या सिचव (उच्च शिक्षा), सरकार के पदेन vi. प्रधानसिचव या सिचव (स्कूल शिक्षा) सरकार के पदेन vii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि

		ii 2 11121 211 212 212 212 212 212 212 212
	V	ii.केंद्र सरकार द्वारा अध्यापक शिक्षा के लिए स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय नियामक निकाय से एक प्रतिनिधि
	ix	. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का एक प्रतिनिधि
	x.	वरिष्ठता के आधार पर स्कूलों के दो डीन
	xi	. विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार।
	(2)	
	i.	पदेन सदस्यों के अलावा, न्यायालय के नामित सदस्यों की कार्यवाही तीन वर्ष होगी।
	ii.	यदि कोई व्यक्ति अपने कार्यालय अथवा पद के कारण कोर्ट का सदस्य बनता है तो उसके पदभार अथवा नियुक्ति की समाप्ति पर उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।
	iii.	न्यायालय के एक सदस्य की सदस्यता ऐसी स्थिति में समाप्त कर दी जाएगी, यदि वह अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देता हो अथवा उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती हो अथवा वह दिवालिया हो जाता हो अथवा वह किसी नैतिक भ्रष्टता के कारण किसी अपराध में दोषी पाया जाता हो या यदि कोई सदस्य किसी अन्य वि"वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति ले लेता है अथवा यदि वह एक पदेन सदस्य होने पर कुलाधिपति की अनुमति के बिना न्यायालय की तीन लगातार बैठकों में हिस्सा नहीं लेता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी;
	iv.	एक पदेन सदस्य के अलावा, न्यायालय का एक सदस्य, कुलाधिपति को संबोधित एक पत्र लिखते हुए अपना त्यागपत्र दे सकता है और जैसे ही उक्त त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है, उस दिन से ही उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
	v.	न्यायालय में किसी रिक्त पद को संबंधित नामांकन प्राधिकारी द्वारा नामांकन द्वारा भरा जाएगा और रिक्त पद की अवधि की समाप्ति पर उक्त नामांकन समाप्त माना जाएगा;
कोर्ट की शक्तियां, कार्य एवं बैठकें	20. 1.	इस अधिनियम की शर्तो के आधार पर न्यायालय द्वारा समय—समय पर वि"वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों तथा वि"वविद्यालय के सुधार और विकास की समीक्षा की जाएगी, न्यायालय को निम्नलिखित अन्य कार्य और शक्तियां प्राप्त होंगी :—
		i विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं और ऐसे लेखाओं पर उनके लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना।
		ii उनके पास पराम"ां के लिए आने वाले किसी मामले के संबंध में कुलाधिपति को सलाह देना; और
		iii ऐसे अन्य कार्य निर्धारित करना।
	2.	
	है ਰਿ है	न्यायालय वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगा। न्यायालय की एक वार्षिक ठक प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाएगी, जब तक कि केसी वर्ष के संबंध में न्यायालय द्वारा कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाती और न्यायालय की बैठक की अध्यक्षता कुलाधिपति के उपस्थित होने पर उनके ारा की जाएगी जब वह उपस्थित है।
	ਕ ਸ	ं यथालेखा परीक्षित तुलन–पत्र, वार्षिक खातों सहित वि"वविद्यालय की पिछले र्ष की वार्षिक–रिपोर्ट को न्यायालय में अपनी वार्षिक बैठक में कुलपति द्वारा स्तुत किया जाएगा।
	3.	
	i.	कुलाधिपति या कुलपति द्वारा या तो स्वयं या न्यायालय के कम से कम आधे

सदस्यों के अनुरोध पर न्यायालय की बैठक बुलाई जाएगी। न्यायालय की प्रत्येक बैठक के लिए सामान्यतः पन्द्रह दिन का नोटिस दिया iii. न्यायालय की नामावली में मौजूद एक तिहाई सदस्यों से कोरम होगा। iv. प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मतों की समानता है, तो बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास, इसके अतिरिक्त, एक निर्णायक मत होगा। v. सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में, बह्मत की राय मान्य होगी; तथा vi. यदि न्यायालय द्वारा तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो जाती है, तो कुलपति न्यायालय के सदस्यों को कागजात के परिचालन द्वारा व्यवसाय को लेन-देन करने की अनुमति दे सकते हैं। यथाप्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि न्यायालय के सदस्यों के बहुमत से सहमत न हो। इस प्रकार की गई कार्रवाई के बारे में न्यायालय के सभी सदस्यों को अविलंब सूचित किया जाएगा। यदि संबंधित प्राधिकारी निर्णय लेने में विफल रहता है, तो मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। बोर्ड (1) प्रबंधन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी निकाय होगा और, इस प्रकार, प्रबंधन 21 शक्तियां, कार्य और विश्वविद्यालय का कामकाज चलाने के लिए इस अधिनियम की प्रावधानों और बैठकें परिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत उसके पास आवश्यक सभी शक्तियां होंगी और बोर्ड द्वारा इस उद्देश्य से तथा साथ ही इसके अंतर्गत संबंधित मामलों पर अध्यादेश और विनियम बनाए जा सकते हैं ; 2. प्रबंधन बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थातi. विश्वविद्यालय के कुलपति ii. सरकार द्वारा नामित शिक्षा, अध्यापक शिक्षा और संबंधी अनुशासन में तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति iii. वरिष्ठता के अनुसार आवर्तन पर क्लपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के दो iv. विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर और एक सहायक प्रोफेसर को कुलपति द्वारा वरिष्ठता के अनुसार आवर्तन पर नामित v. सरकार द्वारा नामित किसी विश्वविद्यालय के अध्यापक शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि vi. सरकार के प्रधान सचिव (वित्त) या उनके नामित vii. सरकार के प्रधान सचिव या सचिव (उच्च शिक्षा) पदेन viii. सरकार के प्रमुख सचिव या सचिव (स्कूल शिक्षा) पदेन ix. ऐसे अन्य सदस्य या सदस्य जो परिनियमों यथानिर्धारित किए जाएं। 3.जहां कोई व्यक्ति अपने पद या नियक्ति के कारण प्रबंधन बोर्ड का सदस्य बन गया है, जब उसकी पद या नियुक्ति का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 4. पदेन सदस्यों के अलावा प्रबंधन बोर्ड के मनोनीत सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी। 5. बोर्ड का कोई सदस्य उस स्थिति में सदस्य नहीं रहेगा, यदि वह त्यागपत्र देता हो अथवा उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती हो अथवा वह दिवालिया हो जाता हो अथवा वह किसी नैतिक भ्रष्टता के कारण किसी अपराध में दोषी पाया जाता हो; कुलपति, प्रोफेसर अथवा डीन के अतिरिक्त कोई सदस्य, यदि वहविश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता हो अथवा यदि वह पदेन सदस्य न होने पर कुलपति की पूर्व अनुमति लिए बिना बोर्ड की तीन लगातार बैठकों में शामिल नहीं होता

	है तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी;
	6. एक पदेन सदस्य के अलावा बोर्ड का कोई सदस्य कुलपति को संबोधित करते हुए
	एक पत्र लिखकर अपना त्यागपत्र दे सकता है और जैसे ही उक्त त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है, उस दिन से ही उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
	7. बोर्ड में कोई पद रिक्त होने पर उसे संबंधित नामांकन प्राधिकारी द्वारा भरा जाएगा और रिक्त पद की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उक्त नामांकन को समाप्त मान लिया जाएगा;
प्रबंधन बोर्ड की 22 शक्तियां, कार्य और बैठकें	(1) प्रबंधन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी निकाय होगा और, इस प्रकार, विश्वविद्यालय का कामकाज चलाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों और परिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत उसके पास आवश्यक सभी शक्तियां होंगी और बोर्ड द्वारा इस उद्देश्य से तथा साथ ही इसके अंतर्गत संबंधित मामलों पर अध्यादेश और विनियम बनाए जा सकते है;
	2. प्रबंधन बोर्ड के पास निम्नलिखित शक्तियां और कार्य होंगे, अर्थात
	i. इस प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की नियुक्ति करना
	ii. अपनी वार्षिक बैठक में न्यायालय को प्रस्तुत करने के लिए :
	अ. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट
	ब. वार्षिक लेखें
	iii. विश्वविद्यालय के वित्त, खातों, निवेशों, संपत्तियों, व्यवसाय और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन और विनियमन करना और उस उद्देश्य के लिए, समितियों का गठन करना और विश्वविद्यालय की ऐसी समितियों या अधिकारियों को अधिकार सींपना जिसे वह उचित समझे।
	iv. विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी धन का निवेश करने के लिए, किसी भी अप्रयुक्त आय सिहत, ऐसे स्टॉक, फंड, शेयर या प्रतिभूतियों में, जो समय—समय पर, उचित समझे, या भारत में अचल संपत्ति की खरीद में, इस प्रकार की शक्ति के साथ भूमि अधिग्रहण या सरकार की सहायता से निर्मित भवनों को छोड़कर समय—समय पर इस तरह के निवेश को अलग करना, जिन मामलों में सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
	v. विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंधन करने, उसमें परिवर्तन करने अथवा रद्द करने के लिए, जैसा उपयुक्त समझा जाता हो, इस उद्देश्य के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त करना।
	vi. विश्वविद्यालय के कार्य के लिए भवन, परिसर, फर्नीचर, उपकरण और अन्य आवश्यक माध्यमों की व्यवस्था करना।
	vii विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करना, उन पर निर्णय लेना और यदि उपयुक्त समझा जाता, तो उनका हल करना ।
	viii संस्थान का निर्माण करना और संस्थान में शैक्षणिक के साथ—साथ अन्य पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना और कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों की निबंधन एवं शर्ते और वेतन संरचना का निर्धारण करना। बशर्ते कि पदों के सृजन, कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों के निबंधन और शर्तें उनकी वेतन संरचना का निर्धारण करने हेतु सरकार का पूर्वानुमोदन लिया जाएगा।
	ix. शिक्षण, प्रशासकीय और लिपिक पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना।
	x शैक्षणिक परिषद से परामर्श करने के बाद परीक्षकों और मध्यस्थों की नियुक्ति करना, और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनके शुल्क, परिलब्धियां और यात्रा और अन्य भत्ते तय करना।
	xi. विश्वविद्यालय केलिए एक कॉमन सील का चयन करना।

		xii. ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए जिन्हें इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत आवश्यक या उस पर लगाया जा सकता है।
		3.
		i. प्रबंधन बोर्ड की तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक होगी और ऐसी बैठकों के लिए कम से कम पंद्रह दिन का नोटिस दिया जाएगा।
		ii. प्रबंधन बोर्ड की बैठकें रजिस्ट्रार द्वारा कुलपति के निर्देशों के तहत या प्रबंधन बोर्ड के कम से कम पांच सदस्यों के अनुरोध पर बुलाई जाएंगी।
		iii. प्रबंधन बोर्ड के एक तिहाई सदस्य किसी भी बैठक में कोरम का निर्माण करेंगे।
		iv. सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में बहुमत की राय मान्य होगी।
		v. प्रबंधन बोर्ड के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि मतो की समानता का प्रश्न उठता है तो इसका निर्धारणप्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष या, जैसा भी मामला हो, बैठक की सदस्यता करने वाले सदस्य का मत इस स्थिति में निर्णायक माना जाएगा।
		vi. प्रबंधन बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य द्वारा की जाएगी।
		vii. यदि बोर्ड द्वारा तात्कालिक कार्रवाई आवश्यक हो जाती हो, तो अध्यक्ष, प्रबंधन बोर्ड, व्यावसायिक लेन—देन के लिए बोर्ड के सदस्यों को कागजात जारी करके अनुमित प्रदान कर सकते है और की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि बोर्ड के सदस्यों का बहुमत सहमत न हो जाता हो इस प्रकार की जाने वाली कार्रवाई से बोर्ड के सभी सदस्यों को अवगत कराया जाएगा और यदि संबंधित प्राधिकारी कोई निर्णय लेने में असफल रहते हैं, तो मामला कुलपित को प्रस्तुत किया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा;
शैक्षिक परिषद	23	(1) शैक्षिक परिषद, विश्वविद्यालय की मुख्य शैक्षिक निकाय होगी और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगी, परिनियम तथा अध्यादेश का इस पर नियंत्रण एवं विनियम होगा और विश्वविद्यालय के अनुदेश, शिक्षा, अनुसंधान एवं परीक्षा के मानदंड के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा परिनियम द्वारा सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करेगा;
		(2) शैक्षिक परिषद् को सभी शैक्षणिक मामलों पर बोर्ड प्रबंधन को परामर्श देने का अधिकार होगा;
		(3) शैक्षिक परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति सिम्मिलित होंगे :
		(i) अध्यक्ष : विश्वविद्यालय का कुलपति;
		(ii) अध्यापक शिक्षकों या प्रतिष्ठित शिक्षाविदों में से तीन व्यक्ति या जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं, और सरकार द्वारा नामित है
		(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या उसके परवर्ती नामांकित व्यक्ति
		(iv) केंद्र सरकार द्वारा अध्यापक शिक्षा के लिए स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या नियामक निकाय का एक नामांकित व्यक्ति
		(v) सभी विद्यालयों के प्रमुख
		(vi) परीक्षा नियंत्रक
		(vii) शिक्षण स्टाफ के तीन सदस्य, प्रत्येक क्रमशः वरिष्ठता के अनुसार आवर्तन पर कुलपति द्वारा नामित प्रोफेसर, ऐसोशिएट और सहायक प्रोफेसरों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
		(viii) परिनियमों द्वारा यथानिर्धारितऐसे अन्य सदस्य।
		(4)पदेन सदस्यों के अलावा शैक्षणिक परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का

		होगा;
शैक्षिक परिषद की शक्तियां, कार्य और बैठकें	24	इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के प्रावधानों के अधीन पर प्रबंधन बोर्ड के पूर्ण पर्यवेक्षण में, शिक्षा परिषद विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यो और मामलों का प्रबंधन करेगी और उसे विशेषकर निम्नलिखित शक्तियों और कार्य सौंप जाएंगें:—
		(i) बोर्ड द्वारा सौंपे गए अथवा प्रत्यायोजित कोई मामलों पर रिपोर्ट देना;
		(ii) विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदो के सृजन, उन्मूलन अथवा वर्गीकरण तथा उनसे संबंधित देय परिलब्धियों और कर्त्तव्यों के संबंध में बोर्ड को सिफारिश करना;
		(iii) प्रभाग के संगठन हेतु योजनाओं का निर्माणतथा आशोधित या संशोधित करने के लिए और ऐसे प्रभागों को उनके संबंधित विषयों को सौंपने के लिए और प्रबंधन बोर्ड को किसी भी प्रभाग के उन्मूलन या उप—विभाजन या एक प्रभाग का दूसरे के साथ संयोजन की समीचीनता के बारे में रिपोर्ट करना।
		(iv) विश्वविद्यालय में उन नामांकित व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के अनुदेशन और परीक्षा हेतु व्यवस्था की सिफारिश करना।
		(v) विश्वविद्यालय में रिसर्च को बढावा देना और उस रिसर्च पर समय—समय पर रिपोर्ट लेना;
		(vi) फैकल्टी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;
		(vii) विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए नीतियां निर्धारित करना;
		(viii) अन्य विश्वविद्यालय के डिप्लोमा और डिग्रियों को मान्यता प्रदान करना और विश्वविद्यालय के डिप्लोमा और डिग्रियों के संबंध में उनका समकक्ष होना निर्धारित करना;
		(ix) बोर्ड द्वारा स्वीकार्य शर्तो पर, फैलोशिप, स्कॉलरशिप और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतियोगिता की शर्ते, समय और माध्यम तय करना और उनके लिए पुरस्कार की सिफारिश करना;
		(x) परीक्षकों और परीक्षा नियंत्रको की नियुक्ति करने, और यदि उन्हें हटाना आवश्यक हो और उनकी प्रभार, परिलब्धियां, यात्रा और अन्य भत्ते तथा खर्चे निर्धारित करने हो;
		(xi) परीक्षाओं के आयोजन तथा आयोजन की तारीखों की व्यवस्था के लिए सिफारिश करना;
		(xii) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना और उनकी समीक्षा करना अथवा इन कार्यो के लिए समितियां अथवा अधिकारियों की नियुक्ति करना और डिग्रियां, सम्मान, डिप्लोमा, लाइसेंस, उपाधि और अंक तालिका प्रदान करना अथवा उसके लिए सलाह देना;
		(xiii) वृतिका, छात्रवृत्तियां, मैडल और पुरस्कार तथा नियमों और पुरस्करों से संबंद्ध अन्य शर्ते के अनुसार अन्य पुरस्कार प्रदान करना तथा
		इन सिफारिशों को विश्वविद्यालय द्वारा केवल सरकार के पूर्व अनुमोदन से लागू किया जा सकता है यदि इस संबंध में व्यय सरकारी सहायता अनुदानसे पूरा किया जाना है।
		(xiv) अध्ययन के लिए निर्धारित कोर्स के पाठयक्रम अनुमोदित करना अथवा उसे संशोधित करना अथवा निर्धारित अथवा सिफारिश की गई पाठ्य पुस्तकों को सूचीबद्ध करना और उनके प्रकाशन का निर्णय लेना;
		(xv) समय—समय पर ऐसे फॉर्म और रजिस्टरों का अनुमोदन करना, जो अध्यादेश तथा विनियमनों द्वारा अपेक्षित हैं;
		(xvi) समय—समय पर शिक्षा के अपेक्षित मानकों का सृजन करना ताकि विश्वविद्यालय में पढ़ाए जा रहे शैक्षिक अभिलेखों और पाठ्यक्रमों को तैयार करने में उनका पालन किया जा सके;
		(xvii) शैक्षिक मामलों के संबंध में, ऐसे सभी कर्त्तव्यों का निर्वाह करना और ऐसे समस्त कार्य करना, जो इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए

अध्यादेश और विनियम के समुचित अनुपालन के लिए आवश्यक होते हैं: (i) शिक्षा परिषद आवश्यक होने पर बैठकें कर सकती है, किंतू ऐसी बैठकों की संख्या एक शैक्षिक वर्ष के दौरान तीन से कम नहीं होनी चाहिए; (ii) शिक्षा परिषद की बैठक का कोरम पूरा करने के लिए शिक्षा परिषद के एक-तिहाई सदस्य उपस्थित होने चाहिए: (iii) यदि सदस्यों में किसी मामले को लेकर मतभेद होता है, तो बह्मत की राय सभी को माननी होगी: (iv) शिक्षा परिषद के अध्यक्ष सहित परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट तय होगा और यदि शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित किसी प्रश्न पर वोटों की संख्या समान रह जाती है, तो अध्यक्ष के पास, अतिरिक्त रूप से, एक निर्णायक मत होगा; (v) शिक्षा परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी और कुलपति की अनुपस्थिति में, बैठक में अध्यक्षता के लिए चयनित सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। (vi)यदि बोर्ड द्वारा तात्कालिक कार्रवाई आवश्यक हो जाती हो, तो अध्यक्ष, प्रबंधन बोर्ड, व्यावसायिक लेन-देन के लिए बोर्ड के सदस्यों को कागजात जारी करके अनुमति प्रदान कर सकते है और की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि बोर्ड के सदस्यों का बहुमत सहमत न हो जाता हो इस प्रकार की जाने वाली कार्रवाई से बोर्ड के सभी सदस्यों को अवगत कराया जाएगा और यदि संबंधित प्राधिकारी कोई निर्णय लेने में असफल रहते हैं, तो मामला कुलपति को प्रस्तूत किया जाएगा. जिनका निर्णय अंतिम होगा: प्रबंधन बोर्ड द्वारा एक वित समिति गठित होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल वित्तीय समिति 25 होंगे : क्लपति -समिति अध्यक्ष i. सरकार के प्रधान सचिव (वित्त) अथवा उनके नामिती सरकार के पदेन प्रधान सचिव अथवा सचिव (तकनीकी शिक्षा) iii. प्रबंधन बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से नामित किए जाना जिनमें कम से कम एक सदस्य विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं होना चाहिए विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार वित्त नियंत्रक सदस्य सचिव होंगे vii. ऐसे अन्य सदस्य जो परिनियमों द्वारा यथानिर्धारित किए जाएं। 2. कुलपति के अलावा वित्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल प्रबंधन बोर्ड के सदस्य के रूप में बने रहने तक होगा । 3. वित्त समिति केकार्य और कर्तव्य इस प्रकार होंगे :-विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट की जांच और छानबीन करना तथा वित्तीय मामलों पर प्रबंधन बोर्ड को सिफारिश करना: नए व्यय के प्रस्तावों पर विचार करना और प्रबंधन बोर्ड को उनकी सिफारशें ii. करना; ग्रेडों के संशोधन से संबंधित सभी। प्रस्तावों, वेतनमानों और उन मदों का iii. अपग्रेडेशन, जो बजट में शामिल नहीं होते, की जांच प्रबंधन बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने से पूर्व वित समिति द्वारा की जाएगी ; वित नियंत्रक द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा-जोखा iv. और वित्तीय अनुमान विचार करने हेतु वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं और तत्पश्चात् उन्हें प्रबंधन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता

		है; v. वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय की आय और संसाधनों के आधार पर वर्ष
		में होने वाले कुल आवर्ती और गैर–आवर्ती व्यय की सीमाएं निर्धारित करना और विश्वविद्यालय द्वारा वित्त समिति की अनुमति के बिना, उस निर्धारित सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाएगा ;
		vi. विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय मामले में अपनी राय देना अथवा प्रबंधन बोर्ड या कुलपति को सिफारिश करना, जो या तो स्वयं अपनी पहल से हो सकती है अथवा प्रबंधन बोर्ड के संदर्भ पर हो सकती है ;
		4. वित्त समिति की, एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें होगी ; वित्त समिति के तीन सदस्य मिलकर किसी बैठक का कोरम पूरा करेंगे ;
		5. उप–कुलपति, वित समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे तथा
		उनकी अनुपस्थिति में बैठक में निर्वाचित सदस्य अध्यक्षता करेगा । सदस्यों में भिन्न राय होने की स्थिति में, उपस्थित सदस्यों के बहुमत की राय लागू होगी;
स्कूल एवं प्रभाग	26	 विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर यथानिर्धारित अध्ययन के स्कूलों तथा प्रभागों की संख्या होगी।
		 परिनियमों द्वारा निर्धारित स्कूल तथा प्रभागों के विधान, शक्तियां एवं कार्य होंगे।
		3. प्रत्येक स्कूल को अध्यादेशों द्वारा नियत प्रभागों का गठन करना होगा।
		 प्रत्येक स्कूल का एक डीन होगा जो आवर्तन द्वारा प्रधान प्रभाग से विष्ठतम फैकल्टी होगा।
		5. प्रत्येक प्रभाग में निम्न सदस्य सम्मिलित होंगे:—
		i. प्रभाग के संकाय सदस्य
		ii. प्रभाग में अनुसंधान का संचालन करने वाले व्यक्ति
		iii. प्रभाग प्रमुख
		iv. प्रभाग से जुड़े माननीय प्रोफेसर, यदि कोई है तो; तथा
		v. ऐसे अन्य व्यक्ति जो अध्यादेशों के प्रावधान के अनुसरण में प्रभाग के सदस्य हो सकते हैं।
योजना बोर्ड	27	 विश्वविद्यालय के एक प्रमुख नियोजन निकाय के रूप में विश्वविद्यालय के एक योजना बोर्ड का गठन किया जाएगा और यह विश्वविद्यालय के विकास के लिए भी उत्तरदायी होगा ।
		 योजना बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों का कार्यकाल और उसकी शक्तियां और कार्य यथानिर्धारित अनुसार होंगे ।
अन्य प्राधिकार	28	अन्य प्राधिकार का गठन, शक्ति तथा कार्य परिनियम द्वारा घोषित होंगे और वे विश्वविद्यालय के प्राधिकार होंगे और वे निर्धारित होंगे ।
अध्ययन बोर्ड	29	 प्रत्येक स्कूल में एक अध्ययन बोर्ड होगा और प्रथम स्कूल बोर्ड के सदस्यों को तीन वर्ष की अविध के लिए शैक्षिक परिषद द्वारा नामित किया जाएगा।
		 अध्ययन बोर्ड की बैठकों का संचालन और ऐसी बैठकों के लिए अपेक्षित कोरम अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
		3. शैक्षिक परिषद के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन, अध्ययन बोर्ड के कार्य विभिन्न उपाधियों और अनुसंधान उपाधियों की अन्य आवश्यकताओं के लिए विषयों को अनुमोदित करना तथा संबंधित अध्ययन बोर्ड को अध्यादेशों द्वारा निर्धारित तरीके से सिफारिश करना ।
		i अध्ययन के कार्यक्रम और पाठ्यक्रम तथा

		ii अध्ययन और अनुसंधान के स्तर में सुधार के उपाय
		बशर्ते कि अध्ययन बोर्ड के उपरोक्त कार्य इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद तीन वर्ष की अवधि के दौरान स्कूल द्वारा निष्पादित किए जाएंगे ।
परिनियम	30	 इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, सभी या मुख्यतः किसी निम्न मामलों के लिए परिनियम उपलब्ध होंगा :-
		 विश्वविद्यालय के प्राधिकार एवं अन्य निकायों के संविधान, शक्ति एवं कार्य, समय—समय पर आवश्यकता पड़ने पर गठित किया जाएगा;
		 विश्वविद्यालय के प्राधिकार एवं निकाय के सदस्यों का कार्यकाल में चयन एवं निरतंरता, सदस्यों की रिक्तियां को भरना तथा इनसे संबंधित सभी अन्य मामले जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे या उपलब्ध कराना अपेक्षित हो;
		 विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया, इनकी सेवा की निबंधन एवं शर्ते तथा इनकी शक्ति, ड्यूटी एवं परिलब्धियां;
		 विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया, अन्य शैक्षिक स्टाफ तथा अन्य कर्मचारी एवं उनकी परिलिध्धयां;
		6. संयुक्त परियोजना के लिए विनिर्दिष्ट अविध के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय / उद्योग में कार्यरत अध्यापकों तथा अन्य शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया, इनकी सर्विस की निबंधन एवं शर्तें तथा परिलिब्धयां;
		 विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अध्यापकों तथा शैक्षिक स्टाफ की सर्विस की निबंधन एवं शर्ते;
		 विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अन्य कर्मचारियों की निबंधन एवं शर्ते;
		 पेंशन का निर्धारण या भविष्य निधि तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लाभ के लिए बीमा योजना स्थापित करना;
		10. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की वरियता शासित करने के नियम;
		11. विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा किसी अपील की प्रक्रिया;
		12. मानद डिग्री प्रदान करना;
		13. फेलोशिप, छात्रवृत्ति, मैडल, पुरस्कार तथा अन्य प्रोत्साहन का संस्थापन;
		14. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बीच अनुशासन बनाए रखना;
		15. कुर्सी, स्कूल तथा विभाग की स्थापना;
		 स्थापित संस्थान तथा केन्द्र का प्रबंधन, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षण;
		17. विश्वविद्यालय प्राधिकार या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;
		18. इस अधिनियम के अन्तर्गत या द्वारा, परिनियम द्वारा उपलब्ध सभी अन्य मुद्दे;
परिनियम कैसे बनें	31	 प्रथम परिनियम वे हों जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के 30 दिनों के अंदर कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से सरकार द्वारा बनाए जाएंगे;
		 बोर्ड समय—समय पर नया या अतिरिक्त परिनियम बनाएंगे और उपधारा (1) में निहित परिनियम का संशोधन या निरस्त करेंगे :
		3. बशर्ते कि प्रबंधन बोर्ड विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार के पिरिनियम को प्रभावित करने वाले पिरिनियम का संशोधन या निरस्त, तब तक नहीं करेगा जब तक प्राधिकार को प्रस्तावित पिरवर्तन पर लिखित में इसके विकल्प जाहिर करने का उचित अवसर दिया गया हो और / बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अंदर व्यक्त किसी विकल्प पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया है ।

		4. प्रत्येक नए परिनियम या परिनियम में संयोजन या कोई संशोधन या उसे निरस्त करने के लिए कुलाधिपित का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जिस पर वे सहमित देंगे या अपनी सहमित रोकेंगे या अपने द्वारा किए गए आकलन के मद्देनज़र इसे पुनः विचार हेतु बोर्ड को भेजेंगे ।
		5. नया परिनियम या संशोधित परिनियम या वर्तमान परिनियम को निरस्त करना तब तक वैध नहीं है जब तक इस पर कुलाधिपति की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती, जो मामले पर निर्णय के दौरान संबंधित विभाग के दृष्टिकोण पर भी विचार करेंगे।
		6. बशर्ते कि यदि कुलाधिपित उन्हें प्राप्त संदर्भ पर 90 दिनों के भीतर अपने निर्णय से अवगत नहीं कराते तो यह माना जाएगा की कुलाधिपित ने प्रस्ताव पर अपनी सहमित प्रदान कर दी है ।
		7. पूर्ववर्ती उप धाराओं में किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपित नई या अतिरिक्त संविधि बना सकता है या इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तुरन्त पश्चात् तीन वर्ष की अविध के दौरान उप धारा (1) में संदर्भित संविधियों में संशोधन या निरसन कर सकता है ।
अध्यादेश	32	1.इस अधिनियम एवं परिनियम के अधीन अध्यादेश मुख्यतः निम्न मामलों के सभी या किसी के लिए उपलब्ध होगा, अर्थात्ः—
		 छात्रों को दाखिला, अध्ययन पाठ्यक्रम तथा फीस अतः डिग्री एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए अर्हता तथा अन्य प्रतिष्ठित शैक्षिक, फेलोशिप तथा पुरस्कार तथा अन्य प्रदान करने के लिए शर्ते;
		ii. कार्यालय की निबंधन एवं शर्तों सहित परीक्षा का संचालन तथा परीक्षकों की नियुक्ति;
		iii. छात्रों के आवास की स्थिति तथा उनका सामान्य अनुशासन;
		iv. विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान का प्रबंधन तथा स्कूल एवं केन्द्र का अनुरक्षण;
		v. कर्मचारियों एवं विश्वविद्यालय या छात्र एवं विश्वविद्यालय के बीच विवाद के निपटान की प्रक्रिया;
		vi. कर्मचारियों एवं छात्रों के बीच विवाद के निपटान की प्रक्रिया;
		vii. दुखी कर्मचारी या छात्र द्वारा अपील की प्रक्रिया;
		viii विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना;
		ix. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के आचरण एवं ड्यूटी का विनियम तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के आचार का विनियम;
		x. कदाचार के संवर्ग जिसके लिए इस अधिनियम या परिनियम या अध्यादेश के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है ;
		xi. अन्य कोई मामला जो इस अधिनियम या परिनियम या अध्यादेश द्वारा हल किया जा सकता है ।
		2. प्रथम अध्यादेश कुलपति द्वारा सरकार के पूर्वानुमोदन से बनाया जाएगा और इस प्रकार बनाये गये अध्यादेश को निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रबंधन बोर्ड किसी भी समय संशोधित, निरस्त या संयोजन कर सकता है।
विनियम	33.	विश्वविद्यालय का प्राधिकार इस अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेश के संगत विनियम बनाएंगे जो इनके स्वयं के व्यवसाय तथा समिति के आचरण के लिए परिनियम द्वारा निर्धारित हैं ।
मानद उपाधि	34	1. कार्यकारी परिषद शैक्षिक परिषद की संस्तुति पर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा मानद उपाधि प्रदान करने के लिए विजिटर को प्रस्ताव देगी : बशर्ते कि आपात स्थिति के मामले में कार्यकारी परिषद अपने स्वयं के प्रस्ताव पर ऐसे प्रस्ताव

		दे सकती है।		
		 कार्यकारी परिषद, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो–तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी मानद उपाधि को, कुलाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति से, वापस ले सकती है। 		
दीक्षान्त समारोह	35	उपाधि प्रदान करने या अन्य उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह इस प्रकार से आयोजित किए जाएंगे जैसा कि अध्यादेशों द्वारा यथानिर्धारित हो ।		
विश्वविद्यालय निधि, लेखा और लेखा परीक्षा				
वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा	36	 विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा एवं तुलन पत्र तैयार कर वर्ष में एक बार अनुमोदन हेतु वित्तीय सिमित के समक्ष प्रस्तुत किया जाए इसका अंतराल पन्द्रह माह से अधिक नहीं होना चाहिए और भारत के महालेखापरीक्षक या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लेखा परीक्षा की जानी चाहिए जो प्राधिकृत है । 		
		 लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक खातों की एक प्रति प्रबंधन बोर्ड की टिप्पणियों , यदि कोई हो, के साथ कुलाधिपति और न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी । 		
		3. वार्षिक लेखा पर न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी को प्रबंधन बोर्ड के संज्ञान में लाया जाएगा और इन टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई को न्यायालय द्वारा निर्धारित समयाविध के भीतर न्यायालय और कुलाधिपित के संज्ञान में लाया जाएगा ।		
		 कुलाधिपति को प्रस्तुत की गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की एक प्रति सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जिसे वह यथाशीध्र दिल्ली विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे । 		
वार्षिक रिपोर्ट	37.	 विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट अनुमोदन के लिए प्रबंधन बोर्ड के समक्ष तैयार कर प्रस्तुत की जाएगी, जिनमें अन्य मामलों के अलावा इसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए कदम भी होंगे । 		
		 इस प्रकार तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट शैक्षिक वर्ष पूरा होने की तिथि से छः माह के अन्दर कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी। 		
		 उप धारा (1) के अन्तर्गत तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो कि यथाशीध्र दिल्ली विधान सभा के समक्ष भी रखी जाएगी। 		
अस्थायी प्रावधान	अस्थायी प्रावधान			
प्रथम कुलपति की अस्थाई शक्तियां	38	इस अधिनियम और परिनियमों में कुछ भी निहित होते हुए : 1. प्रथम कुलपति, प्रथम रिजस्ट्रार और वित्त नियंत्रक की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और वे परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित होंगे।		
		 प्रथम कोर्ट तथा प्रथम प्रबंधन बोर्ड को कुलाधिपति द्वारा नामित किया जाएगा औा इसका कार्यकाल तीन वर्ष की अविध के लिए होगा। 		

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS NOTIFICATION

Delhi, the 10 January, 2022

F.14(78)/LA/2022-ds2law/325-334.— The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 7th January, 2022 and is hereby published for general information:-

"THE DELHI TEACHERS UNIVERSITY ACT, 2022"

(DELHI ACT 02 OF 2022)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 4th January, 2022)

[10th January, 2022]

An Act to establish and incorporate a teaching University at Delhi focused on teacher education, that will promote professional preparation of pre-service and in-service teachers, research in education and extension activities in the field of school education, to achieve excellence in teacher education and other relevant areas of education.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi as follows:

1. Short title, extent and commencement

- 1. This Act may be called the Delhi Teachers University Act, 2022.
- 2. It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
- 3. This Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

2. Definitions

In this Act, unless the context otherwise requires,

- 1. "Government" means the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi appointed by the President of India under Article 239 and Designated as such under Article 239 AA of the Constitution of India;
- 2. "Academic Council" means the Academic Council of the University;
- 3. "Academic Staff' means such categories of staff are as designated to be the academic staff of the University;
- 4. "Board of Management" means the Board of Management of the University;
- "Campus" means the unit established or constituted by the University for making arrangements for instruction of research, or both;
- 6. "Court" means Court of the University;
- 7. "Chancellor", "Vice-Chancellor" and "Pro Vice-Chancellor" mean, respectively, the Chancellor, the Vice-Chancellor and the Pro Vice-Chancellor of the University;
- 8. "Delhi" means the National Capital Territory of Delhi;
- 9. "Division" means a division within a School of Studies of the University;
- 10. "Employee" means any person appointed by the University;
- 11. "Finance Committee" means the Finance Committee of the University;
- 12. "Planning Board" means the academic planning board of the University;
- 13. "Registrar" means the Registrar of the University;
- 14. "School" means School of Studies of the University;
- 15. "Statutes", "Ordinances" and "Regulations", mean respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University for the time being in force;
- 16. "University" means the Delhi Teachers University as incorporated under this Act; and
- 17. "University teachers" means Professors, Associate Professors, Assistant Professors and such other persons as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the University, or in any college or institution maintained by the University and are designated as teachers by the Statutes.

THE UNIVERSITY

3. Establishment and incorporation of the University

1. With effect from such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, there shall be established a University by the name of "Delhi Teachers University", comprising the Chancellor, the Vice-Chancellor, the first members of the Court, the Board of Management, the Academic Council and Finance Committee of the University and all such persons as may hereafter be appointed to such office or as members so long as they continue to hold such office or membership;

- The University shall be a body corporate with the name aforesaid having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property and to contract, and may by the said name sue or be sued;
- The University shall be engaged in teaching and research in emerging areas of teacher education with focus on promoting multidisciplinary teaching and research to achieve excellence in teacher education, school education, and connected fields.

4. Vision and Mission of the University

- The University is envisioned to evolve as a centre for excellence in teacher preparation at both pre-service and inservice stages across the school levels, and in the areas of education studies, leadership and policy. It will work towards bridging the gap between practice, research and policy in teacher preparation while constantly engaging with the dynamic concept and realities of quality in education in the city of Delhi.
- 2. The University will consider its mission to address the issues of quality and equity in teacher and school education in the NCT of Delhi, and prepare professional teachers and educators that are motivated, sensitive, knowledgeable and skilled for working towards the goals of quality and equity in teacher and school education, and other relevant areas. The University will consider its mission to address the issues of quality and equity in teacher education in the NCT of Delhi, and prepare professional teachers and educators that are motivated, sensitive, knowledgeable and skilled for working towards the goals of quality and equity in teacher and school education. It will focus on integration of the professional teacher education and liberal education.

5. Objectives of the University

The Objectives of the University will be to:

- 1. Provide quality initial teacher preparation (pre-service) programmes across different school stages in Delhi;
- 2. Provide ongoing need based in-service programmes for practicing teachers of Delhi;
- 3. Enhance the individual and institutional capacities in the education system in Delhi by preparing change leaders for various levels;
- 4. Conduct fundamental and applied research focusing on learning, curriculum, pedagogy, school leadership, education policy and planning for Delhi;
- 5. Resource development in the areas of curriculum and pedagogy to meet the requirements of public school system in the city;
- 6. Institute a culture of dialogue on education in Delhi by hosting sustained forums that bring together different constituents of education;
- 7. Establish national and international collaboration networks for exchange of ideas and practices;
- 8. Function as an interface between schools, teachers and higher education.

6. Powers and duties of the University

The University shall have the following powers, namely:

- 1. to provide for instruction in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge and skills;
- to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas and certificates to, and confer degrees and other academic distinctions on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing, on persons;
- 3. to confer honorary degrees or other distinctions;
- 4. to organize and to undertake extension services;
- 5. to create with the prior approval of the Government and institute professorships, associate professorships, assistant professorships and other teaching and academic positions required by the University and to appoint persons to, such and other academic and research positions;
- 6. to recognize persons as professors, associate professors or assistant professors and others as teachers of the University;
- 7. to provide for the terms and conditions of service of teachers and other members of the academic or administrative staff appointed by the University;
- 8. to appoint persons working in any other university or organization as teachers of the University for a specified period;

- 9. to create Administrative, Ministerial and other posts in the University with the prior approval of the Government and to make appointments thereto;
- 10. to co-operate or collaborate or associate with any other University, authority or institution of higher learning in such manner and for such purpose as the University may determine;
- 11. to enable the co-operation, collaboration or association of persons working in any other institution, with persons working in the University, for imparting instruction or supervising research, or both;
- 12. to build up a body of academia to perform academic functions, and to pay them remuneration in the manner prescribed;
- 13. to establish, maintain colleges, campuses and such other centers of education, research, training and extension as deemed appropriate by the University;
- 14. to set up central facilities like computer centre, instrumentation centre, central workshop, central library, auditorium, etc.;
- 15. to set up curriculum development cells for different subjects;
- 16. to make provision for research and advisory services and, for that purpose, to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;
- to determine standards for admission to the University which may include examination, evaluation or any other method of selection;
- 18. to institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
- 19. to prescribe, demand and receive payment of fees and other charges;
- 20. to supervise the residence of the students of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;
- 21. to make such special arrangements in respect of women students as the University may consider desirable;
- 22. to define the code of conduct of the students of the University;
- 23. to define the work, service conditions, and code of conduct of the employees of the University;
- 24. to develop and implement service rules for the employees;
- 25. to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees of the University;
- 26. to receive benefactions, donations and gifts from persons and to name after them such chairs, institutions, buildings and the like as the University may determine, whose gift or donation to the University is worth such amount as the University may decide;
- 27. to create a corpus fund for the University and transfer, in full or part, donations received from alumni, industries and other national and international foundations, organizations as may be approved by the Board of Management of the University and to decide the modalities for the utilization of such a corpus fund;
- 28. to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust and endowment properties for the purposes of the University except for the land acquired or building constructed with the assistance of the Government, in which case prior approval of the Government shall be required;
- 29. to borrow, with the approval of the Government, on security of the property of the University, moneys for the purposes of the University;
- 30. to assess the needs in terms of subjects, fields of specialization, levels of education and training of technical manpower, both on short and long term basis, and to initiate necessary programmes to meet these needs;
- 31. to initiate measures to enlist the cooperation of the expert agencies to provide complementary facilities;
- 32. to prescribe a code of ethics, code of conduct and disciplinary rules for its employees and Code of Discipline for the students; and
- 33. to do all such other acts and things as may be necessary or incidental to the exercise of all or any of the powers of the University or necessary for or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University.

7. The University open to all irrespective of sex, creed, class, caste, place of birth, religion or opinion

The University shall be open to persons of all genders and race, creed, caste or class, and it shall not be lawful for
the University to, adopt or impose on any persons any test whatsoever of religious belief or profession or political
opinion in order to entitle them to be appointed as a teacher of the University or to hold any other office therein or
to be admitted as a student of the University, or to graduate, thereat, or to enjoy or exercise any privilege thereof.

- 2. Nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making any special provision for the appointment or admission of women or of person belonging to the weaker sections of the society, and in particular, of persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.
- 3. Eighty five percent of the total seats shall be allocated for Delhi Students and the remaining fifteen percent seats for the outside Delhi students or such other allocation as the Government may by notification in the official Gazette, direct;

OFFICERS OF THE UNIVERSITY

8. Visitor of the University

- 1. The President of the Republic of India shall be the Visitor of the University.
- 2. Any dispute arising between the University and any other University established by law in Delhi, may be referred to the Visitor whose decision shall be final and binding on the parties.

9. Chancellor of the University

- 1. The Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi shall be the Chancellor of the University.
- The Chancellor shall, if present, preside over the convocation of the University for conferring degrees.
- 3. The Chancellor shall have the right to cause an inspection, to be made by such person or persons as he may direct, of the University, a college maintained by the University, its buildings, laboratories and equipment, and also of the examination, teaching and other work conducted or done by the University, and to cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration or finances of the University.
- 4. The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall, on receipt of such notice, have the right to make such representation to the Chancellor, as it may consider necessary, within such period as specified in the notice.
- 5. After considering the representation, if any, made by the University, the Chancellor may cause to be made such inspection or inquiry as is referred to in sub-section (3).
- 6. In case, an inspection or inquiry has been caused to be made, by the Chancellor, the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.
- 7. The Chancellor may address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry as is referred to in sub-section (3) and the Vice-Chancellor shall communicate to the Board of Management the views of the Chancellor with such advice as the Chancellor may be pleased to offer upon the action to be taken thereon.
- 8. The Board of Management shall communicate through the Vice-Chancellor to the Chancellor such action, if any, as it proposes to take or has been taken by it upon the result of such inspection or inquiry.
- 9. In case, the Board of Management does not, within a reasonable time; take action to the satisfaction of the Chancellor, the Chancellor may issue such directions as he may think fit and the Board of Management shall comply with such directions.
- 10. Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the Chancellor may, by order in writing, annul any proceeding of the University which is not in conformity with this Act, the Statutes or the Ordinances. Provided that before making any such order, the Chancellor shall call upon the University to show cause why such an order should not be made and shall consider the cause shown, if any, within the time-limit specified by him.
- 11. The Chancellor shall have such other powers as may be prescribed.

10. Other Officers of the University

The following shall be the officers of the University:

- 1. the Vice-Chancellor;
- 2. the Pro-Vice-Chancellor;
- 3. the Deans;
- 4. the Registrars;
- 5. the Controller of Finance; and
- 6. such other Officers as may be declared Officer of the University by the Statutes to be the Officers of the University

11. Vice-Chancellor of the University

- 1. The Vice-Chancellor shall be a scholar of eminence in teacher education, having teaching, research and administrative experience in a Post Graduate Degree level institution of higher learning.
- 2. The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor, in such manner, for such terms and on such emoluments and other conditions of service as may be prescribed.
- 3. The Vice-Chancellor shall be the principal academic and executive officer of the University and shall exercise supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of all authorities of the University.
- 4. The Vice-Chancellor may, if he/she/other is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall report to such authority the action taken by her/him/other on such matter:
 - i. Provided that if the authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final:
 - ii. Provided further that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section shall have the right to appeal against such action to the Board of Management within ninety days from the date on which such action is communicated to him and thereupon the Board of Management may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.
- 5. The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances, and Regulatory bodies.

12. Pro-Vice-Chancellor of the University

Every Pro-Vice-Chancellor shall be appointed in such manner, on such emoluments and other conditions of service, and shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed.

13. Deans of Schools

Every Dean shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.

14. "Registrar" means the Registrar of the University

- 1. Every Registrar shall be appointed in such manner, on such emoluments and other conditions of service, and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.
- 2. A Registrar empowered by the Board of Management shall have the power to enter into, and sign agreements and authenticate records on behalf of the University.

15. Controller of Examinations

The Controller of Examination shall be appointed in such manner, on such emoluments and other conditions of service and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.

16. Controller of Finance

The Controller of Finance shall be appointed in such manner, on such emoluments and other conditions of service and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.

17. Appointment, powers and duties of the Officers of the University

The manner of appointment, emoluments, powers and duties of the other officers of the University shall be such as may be prescribed by the Ordinances and Statutes of the University.

AUTHORITIES

18. Authorities of the University

The following shall be the authorities of the University:

- 1. The Court;
- 2. The Board of Management;
- 3. The Academic Council;
- 4. The Planning Board;
- 5. The Finance Committee; and
- 6. Such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

19. Court

- 1. The Court of the University shall consist of the following persons:
 - i. Chancellor;

- ii. Vice-Chancellor;
- iii. Five eminent persons in teacher education and cognate areas, nominated by the Government;
- iv. Principal Secretary or Secretary (Finance) to Government ex-officio;
- v. Principal Secretary or Secretary (Higher Education) to Government ex-officio;
- vi. Principal Secretary or Secretary (School Education) to Government ex-officio;
- vii. A representative of the University Grants Commission;
- viii. A representative of the National Council for Teacher Education or the national regulatory body for teacher education as may be instituted by the Central Government;
- ix. A representative of the State Council of Educational Research and Training;
- x. Two Deans of the Schools by seniority;
- xi. Registrar of the University.

2.

- i. The term of office of the nominated members of the Court, other than ex-officio members, shall be three years.
- ii. Where a person has become a member of the Court by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.
- iii. A member of the Court shall cease to be a member if she/he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude. A member, other than the Vice-Chancellor, shall also cease to be a member if she/he accepts a full time appointment in the University; or if she/he not being an ex-officio member fails to attend three consecutive meetings of the Court without the leave of the Chancellor.
- iv. A member of the Court other than an ex-officio member may resign her/his office by a letter addressed to the Chancellor and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by him.
- v. Any vacancy in the Court shall be filled by nomination by the respective nominating authority and on expiry of the period of the vacancy; such nomination shall cease to be effective.

20. Powers, functions and meeting of the Court

- 1. Subject to the provisions of this Act, the Court shall review, from time to time, the broad policies and programmes of the University and suggest measures for the improvement and development of the University, the Court shall also have the following other powers and functions, namely:
 - i. to consider and pass resolution on the annual report and the annual accounts of the University and the report of its auditors on such accounts;
 - ii. to advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it for advice;
 - iii. to perform such other functions as may be prescribed.

2.

- i. The Court shall meet at least once in a year. An annual meeting of the Court shall be held on the date to be fixed by the Board of Management, unless some other date has been fixed by the Court in respect of any year and meeting of the Court shall be presided over by the Chancellor when he is present;
- ii. The Annual Report of the University during the previous year, together with annual accounts, the balance sheet as audited, shall be presented by the Vice-Chancellor to the Court at its annual meeting.

3.

- i. Meeting of the Court shall be called by the Chancellor or by the Vice-Chancellor either on his own or at the request of not less than half the members of the Court;
- ii. For every meeting of the Court, normally fifteen days notice shall be given;
- iii. One-third of the members existing on the rolls of the Court shall form the quorum;
- iv. Each member shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Court, the person presiding over the meeting shall, in addition, have a casting vote;
- v. In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail; and
- vi. If urgent action by the Court becomes necessary, the Vice-Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Court. The action so proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Court. The action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the Court. In case the authority concerned fails to take a decision the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final.

21. Powers, functions and meetings of the Board of Management

- 1. The Board of Management shall be the principal executive body of the University and, as such, shall have all powers necessary to administer the University subject to the provisions of this Act and the Statutes made there under, and may make ordinances and regulations for that purpose and also with respect to matters provided hereunder.
- 2. The Board of Management shall consist of the following persons, namely:
 - i. The Vice-Chancellor of the University;
 - ii. Three eminent persons in education, teacher education and cognate discipline, nominated by the Government:
 - iii. Two Deans of the University nominated by the Vice-Chancellor on rotation as per seniority;
 - iv. One Professor, one Associate Professor and one Assistant Professor of the University nominated by the Vice-Chancellor on rotation as per seniority;
 - v. A representative from a teacher education department of a university, nominated by the Government;
 - vi. Principal Secretary (Finance) to the Government or his nominee;
- vii. Principal Secretary or Secretary (Higher Education) to the Government ex-officio;
- viii. Principal Secretary or Secretary (School Education) to the Government ex-officio;
- ix. such other member or members as may be prescribed by the Statutes.
- 3. Where a person has become a member of the Board of Management by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.
- 4. The term of office of the nominated members of the Board of Management other than ex-officio members shall be three years.
- 5. A member of the Board of Management shall cease to be a member, if she/he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude. A member, other than a Vice-Chancellor, Professor or Dean, shall also cease to be a member if she/he accepts a full time appointment in the University; or if she/he not being an ex-officio member fails to attend three consecutive meetings of the Board of Management without the leave of the Vice-Chancellor.
- 6. A member of the Board of Management other than ex-officio member may resign her/his office by a letter addressed to the Vice- Chancellor and such resignation shall take effect, as soon as it has been accepted by him.
- 7. Any vacancy in the Board of Management shall be filled by nomination by the respective nominating authority and on expiry of the period of the vacancy; such nomination shall cease to be effective.

22. Powers, functions and meetings of the Board of Management

- 1. The Board of Management shall be the principal executive authority of the University and, as such, shall have all powers necessary to administer the University subject to the provisions of this Act and the Statutes made thereunder; and may make ordinances and regulations for that purpose and also with respect to matters provided hereunder.
- 2. The Board of Management shall have the following powers and functions, namely:
 - i. to appoint the Registrar of the University on the recommendations of the Selection Committee constituted for that purpose;
 - ii. to present to the Court at its annual meeting:
 - a. annual report of the University; and
 - b. annual accounts;
- iii. to manage and regulate the finances, accounts, investments, properties, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose, constitute committees and delegate the powers to such committees or such officers of the University as it may deem fit;
- iv. to invest any money belonging to the University, including any unapplied income, in such stock, funds, shares or securities as it may, from time to time, think fit, or in the purchase of immovable property in India, with the like power of varying such investments from time to time except land acquired or buildings constructed with the assistance of the Government, in which cases the prior approval of the Government shall be required;
- v. to enter into, vary, carryout and cancel contracts on behalf of the University and for that purpose to appoint such officers as it may think fit;
- vi. to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;

- vii. to entertain, adjudicate upon, and if it thinks fit, to redress any grievances of the officers, the teachers, the students and the employees of the University;
- viii. to create institute and appoint persons to academic as well as other posts in the institute and determine salary structure and terms and conditions of different cadres of employees. Provided that the prior approval of Government shall be taken to create posts, determine their salary structure and terms and conditions of different cadres of employees;
- ix. to appoint persons in teaching, administrative and ministerial posts;
- x. to appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and to fix their fees, emoluments and travelling and other allowances, after consulting the Academic Council;
- xi. to select a common seal for the University;
- xii. to exercise such other powers and to perform such other duties as may be considered necessary or imposed on it by or under this Act.

3.

- i. The Board of Management shall meet at least once in three months and not less than fifteen days' notice shall be given for such meetings.
- ii. The meetings of the Board of Management shall be called by the Registrar under instructions of the Vice-Chancellor or at the request of not less than five members of the Board of Management.
- iii. One-third of the members of the Board of Management shall form the quorum at any meeting.
- iv. In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.
- v. Each member of the Board of Management shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Board of Management, the Chairman of the Board of Management or, as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote.
- vi. Every meeting of the Board of Management shall be presided over by the Vice-Chancellor and in his absence by a member chosen by the members present.
- vii. If urgent action by the Board of Management becomes necessary, the Vice-Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Board of Management. The action so proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Board of Management. The action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the Board of Management. In case the authority concerned fails to take a decision, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final.

23. Academic Council

- 1. The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, have the control and regulation of, and be responsible for, the maintenance of standards of instruction, education, research and examination within the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes.
- 2. The Academic Council shall have the right to advise the Board of Management on all academic matters.
- 3. The Academic Council shall consist of the following persons, namely:
 - i. the Vice-Chancellor who shall be the Chairperson;
 - ii. three persons from amongst teacher educators or educationists of repute or who are not in the service of the University, and nominated by the Government;
 - iii. a nominee of the University Grants Commission or its successor;
 - iv. a nominee of the National Council for Teacher Education or the regulatory body as may be instituted by the Central Government
 - v. all Heads of the Schools;
 - vi. Controller of examinations;
 - vii. three members of the teaching staff, one each respectively representing the professor, associate and assistant professors nominated by the Vice-Chancellor on rotation as per seniority;
- viii. such other members as may be prescribed by the Statutes.
- 4. The term of the members of the Academic Council, other than ex-officio members, shall be three years.

24. Powers, functions and meetings of the Academic Council.

- 1. Subject to the provisions of this Act, Statutes, Ordinances and Regulations and overall supervision of the Board of Management, the Academic Council shall manage the Academic affairs and matters in the University and in particular shall have the following powers and functions, namely:
- i. to report on any matter referred or delegated to it by the Board of Management;
- ii. to make recommendations to the Board of Management with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the University and the emoluments payable and the duties attached thereto;
- iii. to formulate and modify or revise schemes for the organization of the Division and to assign to such Divisions their respective subjects and also to report to the Board of Management as to the expediency of the abolition or sub-division of any Division or the combination of one Division with another;
- iv. to recommend arrangements for the instruction and examination of persons other than those enrolled in the University;
- v. to promote research within the University and to require from time to time, reports on such research;
- vi. to consider proposals submitted by the faculties;
- vii. to lay down policies for admissions to the University;
- viii. to recognise diplomas and degrees of other Universities and Institutions and to determine their equivalence in relation to the certificates, diplomas and degrees of the Universities;
- ix. to fix, subject to any conditions accepted by the Board, the time, mode and conditions of the competition for Fellowships, Scholarships and other prizes and to recommend for award of the same;
- x. to make recommendations to the Board of Management with regard to the appointment of examiners and, if necessary, their removal and fixation of their fees, emoluments and travelling and other expenses;
- xi. to recommend arrangements for the conduct of examinations and the dates for holding them;
- xii. to declare or review the result of the various examinations or to appoint committees or officers to do so, and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, honours, diplomas, licences, titles and marks of honour;
- xiii. to recommend stipends, scholarships, medals and prizes and to make other awards in accordance with the regulations and such other conditions as may be attached to the awards, these recommendation may be implemented by the University only with the prior approval of the Government if the expenditure in this regard is to be met from Government Grant in Aid;
- xiv. to approve the syllabus for the prescribed courses of study and to approve or revise lists of prescribed or recommended text books and to publish the same;
- xv. to approve such forms and registers as are, from time to time, required by the ordinances and regulations;
- xvi. to formulate, from time to time, the desired standards of education to be adhered in drawing up the curriculum and syllabi for being taught in the University;
- xvii. to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of this Act and the ordinances and regulations made there under.

2.

- i. The Academic Council shall meet as often as may be necessary, but not less than three times, during an academic year.
- ii. One-third of the existing members of the Academic Council shall form the quorum for a meeting of the Academic Council.
- iii. In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.
- iv. Each member of the Academic Council, including the Chairperson of the Academic Council, shall have one vote and if there be an equality of votes on any question to be determined by the Academic Council, the Chairperson of the Academic Council, or, as the case may be, the member presiding over that meeting, shall in addition, have a casting vote.
- v. Every meeting of the Academic Council shall be presided over by the Vice-Chancellor and in his absence by a member chosen in the meeting to preside on the occasion.
- vi. If urgent action by the Academic Council becomes necessary, the Chairperson of the Academic Council may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Academic Council. The action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to, by a majority of the members of the Academic Council. The action so taken shall forthwith be intimated to all the members of the Academic Council. In case the authority concerned fails to take a decision, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final.

25. The Finance Committee

- 1. There shall be a Finance Committee constituted by the Board of Management consisting of the following:
 - i. The Vice-Chancellor-Chairman;
 - ii. The Principal Secretary (Finance) to Government or his nominee;
- iii. The Principal Secretary or Secretary (Technical Education) to Government ex-officio;
- iv. Two other members nominated by the Board of Management from amongst its members, of whom at least one should not be an employee of the University;
- v. The Registrar of the University;
- vi. Controller of Finance will be the member Secretary;
- vii. Such other members as may be prescribed by the Statutes.
- 2. The members of the Finance Committee other than the Vice-Chancellor, shall hold office so long as they continue as members of the Board of Management.
- 3. The functions and duties of the Finance Committee shall be as follows:
 - i. to examine and scrutinize the annual budget of the University and to make recommendations on financial matters to the Board of Management;
 - ii. to consider proposals for new expenditure and to make recommendations to the Board of Management;
- iii. all proposals relating to revision of grades, up gradation of the pay-scales and those items which are not included in the budget, shall be examined by the Finance Committee before they are considered by the Board of Management;
- iv. to consider the annual accounts and the financial estimates of the University, prepared by the Controller of Finance and laid before the Finance Committee for approval and thereafter submitted to the Board of Management;
- v. the Finance Committee shall fix the limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the year, based on income and resources of the University, and no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits so fixed, without the approval of the Finance Committee;
- vi. to give its views and to make recommendations to the Board of Management on any financial question affecting the University either on its own initiative or on reference from the Board of Management or the Vice-Chancellor.
- 4. The Finance Committee shall meet, at least, four times in a year. Three members of the Finance Committee shall form the quorum at any meeting.
- 5. The Vice-Chancellor shall preside over the meetings of the Finance Committee, and in his absence, a member elected at the meeting shall preside. In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority of the members present shall prevail.

26. Schools and Divisions

- 1. There shall be such a number of Schools of Studies and research and Divisions as the University may determine from time to time.
- 2. The constitution, powers and functions of a School and Divisions shall be such as may be prescribed by the statutes.
- 3. Every School will consist of such Divisions as may be assigned to it by the Ordinances;
- 4. Each School will have a Dean who will be the senior most faculty from the constituent Divisions by rotation;
- 5. Each Division shall consist of the following members, namely:- (I) faculty members of the Division; (II) persons conducting research in the Division; (lii) Division Head; (iv) Honorary Professors, if any, attached to the Division; and (v) such other persons as may be members of the Division in accordance with the provisions of the Ordinances.

27. Planning Board

- 1. There shall be constituted a Planning Board of the University to be the principal planning body of the University and shall also be responsible for monitoring the development of the University.
- 2. The constitution of the Planning Board, the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed.

28. Other authorities

The constitution, powers and functions of the other authorities which may be declared by the Statutes to be the authorities of the University, shall be such as may be prescribed.

29. Board of Studies

- 1. Every School shall have a Board of Studies and the members of the first School Board shall be nominated for a period of three years by the Academic Council.
- 2. The conduct of the meetings of a Board of Studies and the quorum required for such meetings shall be prescribed by the Ordinances
- 3. Subject to the overall supervision of the Academic Council, the Functions of a Board of Studies shall be to approve subjects for various degrees and other requirements of research degrees and to recommend to the concerned Boards of Studies in the manner prescribed by the Ordinances
 - i. programmes and courses of studies and
 - ii. measures for the improvement of the standard of teaching and research

Provided that the above functions of a Board of Studies shall, during the period of three years immediately after the commencement this Act be performed by the School.

STATUTES, ORDINANCES, RULES AND REGULATIONS

30. Statutes

- 1. Subject to the provisions of this Act, the statutes may provide for all or any of the following matters, namely:
- 2. the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University, as may be found necessary to be constituted from time to time;
- 3. the selection and continuance in office of the members of the authorities and bodies of the University, the filling up of vacancies of members and all other matters relating thereto which the University may deem necessary or desirable to provide;
- 4. the manner of appointment of the officers of the University, terms and conditions of their service, their powers and duties and emoluments;
- 5. the manner of appointment of the teachers of the University, other academic staff, the other employees and their emolument;
- 6. the manner of appointment of teachers and other academic staff working in any other University for a specified period for undertaking a joint project, their terms and conditions of service and emoluments;
- 7. the terms and conditions of service of the teachers and other members of the academic staff appointed by the University;
- 8. the terms and conditions of other employees appointed by the University;
- 9. the constitution of the pension or the provident fund and the establishment of and insurance scheme for the benefit of the employees of the University;
- 10. the principles governing the seniority of employees of the University;
- 11. the procedure for any appeal by an employee or a student of the University;
- 12. conferment of honorary degrees;
- 13. institution of fellowships, scholarships, studentships, medals, prizes and other incentives;
- 14. maintenance of discipline among the employees of the University;
- 15. establishment of chairs, schools of studies and departments;
- 16. management, supervision and inspection of colleges and institutions established and/or maintained by the University;
- 17. the delegation of powers vested in the authorities or the officers of the University;
- 18. all other matters which, by or under this Act, are to be, or may be, provided for by the statutes.

31. Statutes how made

- 1. The first Statutes shall be those made by the Government with the prior approval of the Chancellor within thirty days of the commencement of this Act.
- 2. The Board of Management may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the statutes referred to in sub-section (1):
- 3. Provided that the Board of Management shall not make, amend or repeal any Statutes affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given a reasonable opportunity of expressing its opinion in writing on the proposed change and any opinion so expressed within the time specified by the Board of Management has been considered by the Board of Management.

- 4. Every new Statute or addition to the Statutes or any amendment or repeal thereof shall require the approval of the Chancellor, who may assent thereto or withhold his/her assent or remit it to the Board of Management for reconsideration in the light of the observations, if any, made by him/her.
- 5. A new Statute or a Statute amending or repealing an existing Statute shall not be valid unless it has received the assent of the Chancellor, who will take into consideration the views of the concerned department while deciding the matter:
- 6. Provided that if the Chancellor does not convey his decision within ninety days of the reference received by him/her, it shall be deemed that the Chancellor has given his assent to the proposal.
- 7. Notwithstanding anything contained in the foregoing subsections, the Chancellor may make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1), during the period of three years immediately after the commencement of this Act.

32. Ordinances

- 1. Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:
 - i. the admission of students, the courses of study and the fees therefor, the qualifications pertaining to the award of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the conditions for the grant of fellowships and awards and the like;
 - ii. the conduct of examinations, including the terms and conditions of office and appointment of examiners;
 - iii. the conditions of residence of students and their general discipline;
 - iv. the management of colleges and institutions maintained by the University;
 - v. the procedures for the settlement of disputes between the employees and the University, or between the students and the University;
 - vi. the procedures for the settlement of disputes between the employees or students;
 - vii. the procedure for any appeal by an aggrieved employee or a student;
 - viii. maintenance of discipline among the students of the University;
 - ix. regulation of the conduct and duties of the employees of the University and regulation of the conduct of the students of the University;
 - x. the categories of misconduct for which action may be taken under this Act or the Statutes or the Ordinances;
 - xi. any other matter which, by or under this Act or the Statutes, is to be, or may be, provided for by the Ordinances.
- The first Ordinances shall be made by the Vice-Chancellor with the prior approval of the Government and the Ordinances so made may be amended, repealed or added to, at any time by the Board of Management in such manner as may be prescribed.

33. Regulations

The authorities of the University may make regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances, in the manner prescribed by the Statutes for the conduct of their own business and that of the committees, if any, appointed by them and not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances.

HONORARY DEGREES AND CONVOCATIONS

34. Honorary degree

- 1. The Executive Council may, on the recommendation of the Academic Council and by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting. make proposals to the visitor for the conferment of honorary degrees: Provided that in case of emergency, the Executive Council may, on its own motion, make such proposals.
- 2. The Executive Council may, by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, withdraw, with the previous sanction of the Visitor, any honorary degree conferred by the University

35. Convocation

Convocations of the University for the conferring of degrees or for other purposes shall be held in such manner as may be prescribed by the Ordinances.

UNIVERSITY FUNDS, ACCOUNTS AND AUDIT

36. Annual Accounts and Audit

- 1. The annual accounts and the balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and shall, at least, once every year at intervals of not more than fifteen months, be audited by the Comptroller and Auditor General of India or such person or persons as he may authorize in this behalf;
- 2. A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Chancellor and the Court along with the observations, if any, of the Board of Management;
- 3. Any observation made by the Court on the annual account shall be brought to the notice of the Board of Management and the action taken on these observations shall be brought to the notice of the Court and the Chancellor within the time period specified by the Court;
- 4. A copy of the annual accounts together with the audit report as submitted to the Chancellor, shall also be submitted to the Government, which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the Legislative Assembly of Delhi.

37. Annual Report

- 1. The annual report of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfillment of its objects.
- 2. The annual report so prepared shall be submitted to the Chancellor within six months from the date of completion of the academic year.
- 3. A copy of the annual report, as prepared under sub-section (1), shall also be submitted to the Government which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the Legislative Assembly of Delhi.

TRANSITORY PROVISIONS

38. Transitory powers of the first Vice-Chancellor

Notwithstanding anything contained in this Act and the Statutes-

- 1. the first Vice-Chancellor, the first Registrars and the Controller of Finance shall be appointed by the Chancellor and they shall be governed by the terms and conditions of service specified by the Statutes;
- 2. the first Court and the first Board of Management shall be nominated by the Chancellor and shall hold office for a term of three years.

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Pr. Secy. (Law, Justice & L.A.)